Subject: CRIMINOLOGY  

Code No. : 68

SYLLABUS

Unit - I

Unit – II
Criminology: Definition and Scope; Criminology and other Social Sciences; Criminology vs. Criminal Justice. Structure of Criminal Justice System in India; Role of Legislature and Law making; Coordination among Criminal Justice System. Participation of Victims and Witnesses in the Criminal Justice Process. Crime Prevention: Neighbourhood Involvement, Situational Crime Prevention, Crime Prevention through Environmental Design (CPTED), Electronic Monitoring.

Unit - III
Unit - IV


Unit - V


Unit - VI


Unit - VII

Unit - VII


Unit - IX


Unit - X

विष्वविद्यालय अनुदान आयोग
नेट-ब्यूरो

पाठ्यक्रम

इकाई-1:

अपराध का वैधानिक, सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष, विचारत एवम् अपराध, परम्परागत अपराध : सम्पत्ति से संबंधित अपराध, मानव के विरुद्ध अपराध (ब्रह्मा, महिलाओं, एल.जी.डी.क्यूर, पुरुषों); पीड़ित विहीन अपराध- शासन श्रवण, सादृश्य श्रवण, सम्पत्ति, व्यवसायिक योग सम्बन्ध, आत्महत्या; पारिवारिक अपराध : देह, सरल हिंसा, ब्रह्मांड का शोषण, सामाजिक समस्याओं; अंतरराष्ट्रीय एवम् अंतरजातीय तनाव एवम् संघर्ष, आधुनिक अपराध : संगठित अपराध, आत्मिक अपराध, बुद्धाचार, कॉर्पोरेट अपराध, विकास प्रेरित अपराध, साइबर अपराध एवम् साइबर सहायक अपराध, आतंकवाद एवम् विद्रोह, अपराध एवम् राजनीति, मीडिया, तकनीकी एवम् अपराध : अंतरराष्ट्रीय अपराध।

इकाई-2:

अपराधशास्त्र : परिभाषा एवम् ध्वेब, अपराध शाखा एवम् अन्य सामाजिक विज्ञान, अपराध शाखा बनाम अपराधिक न्याय, भारत में अपराधिक न्याय व्यवस्था का हाल, सालून बनाने में विधिविधान की भूमिका, अपराधिक न्याय व्यवस्था में समन्वय, अपराधिक न्याय प्रक्रिया में पीड़ितों एवम् गवाहों की बाहरीदारी, स्थानीय अपराध के लोगों का विशेष विषय का विषय का विषय का विषय निरोध (सी. पी. डी. ई. डी.), इलेक्ट्रॉनिक नियमानी।

इकाई-3:

अपराध शाखा के लोगों के सम्प्रदाय : पिछला विद्या, शास्त्रीय, नव-शास्त्रीय सम्प्रदाय, सकारात्मक सम्प्रदाय, विज्ञानकेंद्र सम्प्रदाय, जैविक एवम् शारीरिक संरचना एवम् बनावट सम्प्रदाय, आत्महत्यक लक्षण, अन्य : सांस्कृतिक। अपराध के आर्थिक सिद्धांत, वहूँ कारण सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सामाजिक एवम् सम्प्रदाय : अनोमल सिद्धांत, सांस्कृतिक दृष्टि और उप-संस्कृति सिद्धांत। सामाजिक
पारिस्थितिकी सिद्धान्त : संकेत खंड, पर्यावरण अपराध शाखा, सामाजिक विचित्रण सिद्धान्त, निर्दय वर्ग संस्कृति सिद्धान्त। सामाजिक अधिग्रह सिद्धान्त : अनुकरण का सिद्धान्त, विवेकज्ञ साहित्य सिद्धान्त, विवेकज्ञ पहचान सिद्धान्त और विवेकज्ञ अवसर सिद्धान्त।

इकाई-4:

सामाजिक नियन्त्रण सिद्धान्त : विभाग और अप्रभावीकरण सिद्धान्त, परिपूर्ण सिद्धान्त, सामाजिक बन्धन सिद्धान्त। सामाजिक संघर्ष सिद्धान्त : लेबिंग सिद्धान्त, आमूल अपराध शाखा, संघर्ष अपराध शाखा, जटिल (क्रिटिकल) अपराध शाखा, यथार्थवादी अपराधशाखा। आधुनिक सिद्धान्त : नियत गातिविधि सिद्धान्त, युक्तिपूर्ण विकल्प, अभिव्यक्ति सिद्धान्त, ग्रोकनेड विचारण सिद्धान्त, नारीवादी अपराधशाखा, पुरुषत्व सिद्धान्त, जीवन क्रम सिद्धान्त, एकीकृत सिद्धान्त, स्वतंत्र संक्षेपण। समकालीन परिस्थिति : संगठित अपराधशाखा, अपराध और न्याय से सम्बन्धित समाचार देखने वाला अपराधशाखा, शासन स्वायत्त अपराध शाखा, हरित अपराध शाखा, तृष्णा अपराध शाखा, साइबर अपराध शाखा, सकारात्मक अपराधशाखा, अन्तर्दृष्टिय अपराधशाखा।

इकाई-5:

कार्यानि उपागम : अभियोजकीय प्रणाली और दोपारोपकीय प्रणाली : सार्वभौम और प्रक्रियात्मक विधि – अपराधशाखा दायित्व, कठोर दायित्व : भारतीय दंड संस्थान – सामाजिक अपराध, संघर्ष से सम्बन्धित अपराध, अपराध प्रक्रिया संस्था, संघर्ष और गैर-संघर्ष अपराध, जमानत योग्य और गैर-जमानत योग्य अपराध, अपराध और गैर-अपराधीय अपराध, अपराधों का अनुश्रय, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, निर्यात, निर्भर्य, अलिकुम अभियोजन, त्याग दुत्त द्वारा, जमानत, साधन के प्रकार, इकाइयादि बयान की स्वीकार्यता, मूल्यांकनकीय क्रम, मानवाधिकार, मूल्यांकन अधिकार, अभियोजक और पीड़ित के अधिकार, अभियोजन में रखे गए व्यक्ति के अधिकार, बंटन के अधिकार, आपराधिक न्याय सुधार संबंधी उद्योग न्यायालय के महत्त्वपूर्ण, निर्णय, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, बौद्ध अपराधों से बद्ध का संरक्षण (पॉस्टो) अधिनियम – मुख्य – मुख्य वांछी।

इकाई-6:

अपराध शाखीय महत्व एक प्रकार – शोध, वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। मानवाधिक वनाम गुणात्मक शोध, मिश्रित पदार्थ, अपराधशाखीय क्षेत्रों के मुख्य चरण – नीतिपर और नीतिनिर्मिता। आपराधिक न्याय सम्बन्धित शोध, शोधकर्ता द्वारा किया जाने वाला कपट और
सांख्यिक-चौरी। अपराध और अपराधिक न्याय संबंधी आंकड़े। अपराधाध्यक्ष संबंधी शोध में सांख्यिकीय अनुप्रयोग।

इकाई-7:

दंडशाखा - परिभाषा, प्रकार और विषय-क्षेत्र, दंड - प्राचीन काल में, मध्य काल में और आधुनिक काल में।
दंड : महत्त्व, अवधारणा, उद्देश्य और प्रकार। दंड के सिद्धांत - रजा देवा : सिद्धांत, नीतियाँ और प्रक्रिया। मृत्यु दंड। दंड के नये उपाय - प्रत्यावर्ती न्याय, प्रत्यास्थापन और पीडित - अपराधी मध्यस्थता, कारागार विधान का इतिहास और क्रिमिक विकास - जेल मैन्युअल और नियम। कारागार सुधार संबंधी विभिन्न नियमों और आयोग। वै-अन्तरराष्ट्रीय उपायों (टोक्यो नियम) में सम्बंधित मानक न्यूनतम नियम और कैदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार सम्बन्धी नेत्रवत मंदेला नियम।

इकाई-8:

कारागार संबंधी विभिन्न प्रणालियों का विकास - पैनीसिएन्टी, पौनित्व-वाणिया, आर्बन प्रणाली। भारत में कारागार प्रणाली का उद्देश्य और विकास।
संस्थानक उपचार : अर्थ और उद्देश्य। कारागारों के प्रकार और कारागारों का वर्तमान अवस्था, बालों हैरत संबंधित संस्थाएं : केन्द्रीय, जिला और उप जेल, महिलाओं से संबंधित संस्थाएं : निगरानी ब्यू, सुरक्षा गृह। खुदी जेल। कारागारों में आवास, भोजन और सिक्सिया सुविधायें, सुधारात्मक कार्यक्रम, शैक्षिक, आर्थिक और विद्याओं की पेंचायत।
समस्त सुधार : परिसीधा और चेतावनी : अवधारणा का और विषय-क्षेत्र, परिसीधा का ऐतिहासिक विकास। भारत में परिसीधा - अपराधी परिसीधा अधिनियम। पौरोल- अर्थ और विकास क्षेत्र। भारत में जेल से रिहा हुए विदियों की देखभाल। सुधारात्मक प्रणाली में वर्तमान समस्याएं और चुनौतियां।

इकाई-9:

किशोर और युवा न्याय : परिभाषा और अवधारणा। अपराध। अपराध में संरचनात्मक बद्दल। बखूं और सुविधा।
८००-१०० युवाओं आताएवण बाल न्याय अधिनियम की प्रमुख विषयों बाल संस्थाएं : बाल न्याय बॉर्ड, बाल विधि समिति, प्रबंधण गृह, किशोर गृह, विशेष गृह और ‘उपयोग’ संस्थाएं, बाल उत्तराधिकार सेवाएं, बाल पुलिस इकाई।
३०० एन, के प्रवेश : बाल न्याय संबंधी न्यूनतम राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (वीजि नियम) और यू.एन. रियास सम्बन्धी दिशानिर्देश। अपराध नियमानुसार।
इकाई-10:

पीडित शाखा का ऐतिहासिक विकास : मुल अवधारणाएँ, अपराध-पीडित और शक्ति के दुर्योगों से सम्बन्धित न्याय के आधारभूत सिद्धान्त संबंधी यू.एन. घोषणा, 1985, पीडित – अपराधी सम्बन्ध।

उत्पीडन का प्रभाव – शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक (पी ची एस डी, ए एस डी, प्रत्यास्थ, प्रश्न-अभिमानीय वृद्धि, कोशिका और पीडित के प्रति इम्प्रेशन) प्रभाव। प्राप्तिमान, द्वीतीय और तृतीय उत्पीडन। पीडित की सहायता में बैर-सरकारी संगठनों (एन जी ऑ) की भूमिका। आपराधिक परिप्रेक्ष्य : बार-बार उत्पीडन, नियमित क्रियाप्रारंभ, जीवन-शैली का प्रदर्शन, अपराध का भय, दंडात्मकता और उत्पीडन सवेधण, अपराध की लागत सहित पीडितों पर अपराध के प्रभाव।

कानूनी परिप्रेक्ष्य : दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य कानूनों के अनुसार अपराध पीडित के अधिकार- पीडित अतिपूर्ति योजना।

उत्पीडित व्यक्तियों का शाखा : बड़ी संख्या में उत्पीडित और उत्पीडन, उपायोगिक पीडित शाखा, चिकित्सायी विधिशाखा, साइबर पीडित व्यक्तियों का शाखा, सकारात्मक पीडित व्यक्तियों का शाखा।